



प्रेसनोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 03.01.2026

- अपराध नियंत्रण की दिशा में चलाये गये अभियान के तहत कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी सफलता ।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे व वाँछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुये थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा दि 03.01.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर 03 वाँछित गैंगस्टर अभियुक्तगण 1. अनफासुल हसन पुत्र अकबर हुसैन निवासी ग्राम अकारु थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात, 2. रामकुमार पुत्र महावीर शंखवार निवासी ग्राम ठेनामऊ थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात, 3. अजय कोष्टा पुत्र रामकुमार कोष्टा निवासी मिर्जा मण्डी कालपी थाना कालपी जनपद जालौन को समय 12.05 बजे भोगीसागर के पास कानपुर झांसी हाइवे के किनारे थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के आधार पर थाना भोगनीपुर पर मुअस्सा 08/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि साहब हम लोगों पर थाना भोगनीपुर में कई मुकदमें हैं और हम लोग गैंगस्टर के एक मुकदमें में वाँछित हैं आज हम लोग अपने वकील से मिलने जा रहे थे कि तभी पुलिस द्वारा हम लोगों को भोगीसागर के पास कानपुर झांसी हाइवे के किनारे थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात से पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अनफासुल हसन पुत्र अकबर हुसैन उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम अकारु थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात ।
2. रामकुमार पुत्र महावीर शंखवार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ठेनामऊ थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात ।
3. अजय कोष्टा पुत्र रामकुमार कोष्टा उम्र करीब 31 वर्ष निवासी मिर्जा मण्डी कालपी थाना कालपी जनपद जालौन ।

अभियुक्त अनफासुल हसन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 218/2025 धारा 109(1)/309(6)/317(2)/317(4) बीएनएस व धारा 25/27/3/9 आम्स एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।
- मु0अ0सं0 225/2025 धारा 109(1)/303(2)/317(2) बीएनएस व धारा 25/27/9 आम्स एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।
- मु0अ0सं0 08/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।

अभियुक्त रामकुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 218/2025 धारा 109(1)/309(6)/317(2)/317(4) बीएनएस व धारा 25/27/3/9 आम्स एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।
- मु0अ0सं0 225/2025 धारा 109(1)/303(2)/317(2) बीएनएस व धारा 25/27/9 आम्स एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।
- मु0अ0सं0 08/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।

अभियुक्त अजय कोष्ठा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 218/2025 धारा 109(1)/309(6)/317(2)/317(4) बीएनएस व धारा 25/27/3/9 आम्स एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।
- मु0अ0सं0 08/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोगनीपुर पुलिस ।